(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी **अप्रार्थीगण**

मंगेजसिंह बनाम बुधाराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व वाद पत्र मुकदमा नं. 161/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
14.12.20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी मंगेजसिंह की मृत्यु दिनांक 15.02.2019 तथा वारिसान पपूसिंह का देहान्त 12.07.2016 को हो जाने पर प्रकरण में विधिक उतराधिकारी को पक्षकार संयोजित करने का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का नियत समय सीमा में पेश नहीं करने पर खारिज किया जा चुका है। चूंकि वाद को चलाने की जिम्मेवारी वादी की होती है तथा प्रकरण में अन्य कोई वादी पक्षकार नहीं है तथा बिना वादी के वाद को चलाने का कोई औचित्य नहीं है तथा वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है। वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	